बिहार सरकार

स्वास्थ्य विभाग

अधिसूचना

सं0सं0–9 / आ0–03–12 / 2023(स्वा0) ..../ पटना, दिनांकः–..................................

डॉ० उमेश चन्द्र शर्मा, तत्कालीन सिविल सर्जन, मुजफ्फरपुर सम्प्रति सेवानिवृत्त के विरूद्ध जिला पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर के पत्रांक–2378 दिनांक–02.09.2023 द्वारा बिना सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त किए सदर अस्पताल सहित हेल्थ एवं वेलनेस सेंटर, मुजफ्फरपुर के साफ–सफाई का कार्य एवं सुरक्षा प्रहरी का कार्य आवंटित करने के आरोप में बिहार पेंशन नियमावली, 1950 के नियम–43(ख) के अधीन विभागीय संकल्प सं0–721(9) दिनांक–09.08.2024 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी। संचालन पदाधिकारी द्वारा अनुबंध में गठित आरोप को प्रमाणित होने का मंतव्य दिया गया।

2. विभागीय पत्रांक–185(9) दिनांक–04.03.2025 द्वारा डॉ० शर्मा से लिखित अभ्यावेदन की माँग की गयी, जिसके अनुपालन में डॉ० शर्मा द्वारा लिखित अभ्यावेदन समर्पित कर अंकित किया गया है कि तत्कालीन सिविल सर्जन, मुजफ्फरपुर के पत्रांक–736 दिनांक–02.03.2022 द्वारा प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, कुढनी, मुजफ्फरपुर को नियमानुसार आपूर्तिकर्त्ता का चयन करने का निदेश दिया गया। विभागीय अधिसूचना सं०–220(3) दिनांक–11.05.2022 के आलोक में उनके द्वारा दिनांक–12.05.2022 को सिविल सर्जन, मुजफ्फरपुर का पदभार ग्रहण किया गया था।

राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार के पत्रांक–4212 दिनांक–18.09.2018 द्वारा निदेशित किया गया था कि हेल्थ एण्ड वेलनेश सेंटर से अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में उत्क्रमित हुए संस्थानो में अनुमोदित दर पर सुरक्षा एवं साफ–सफाई का कार्य लिया जाए। श्री सुबोध कुमार, लिपिक द्वारा संचिका में अंकित किया गया कि मेसर्स विश इन्टरप्राईजेज द्वारा साफ–सफाई का कार्य एवं मेसर्स गोस्वामी इन्टरप्राईजेज द्वारा सुरक्षा प्रहरी की सेवा उपलब्ध करायी जाती है। जिला पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर द्वारा सदर अस्पताल, मुजफ्फरपुर का दिनांक–27.09.2022 को औचक निरीक्षण किया गया। संस्थान मे गदगी रहने के कारण खेद प्रकट किया गया। जिला पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर द्वारा दिनांक–16.07.2022 को साफ–सफाई का कार्य विश इन्टरप्राईजेज से कराने एवं सुरक्षा गार्ड का कार्य मेसर्स गोस्वामी सिक्यूरिटी एजेंसी से कराने के प्रस्ताव पर अनुमोदन दिया गया था।

3. उल्लेखनीय है कि सिविल सर्जन, मुजफ्फरपुर के पत्रांक–1822 दिनांक–24.06.2022 द्वारा हेल्थ एवं वेलनेश सेटर में साफ–सफाई का कार्य लेने हेतु मेसर्स विश इन्टरप्राईजेज को आदेश दिया एवं पत्रांक–1821 दिनांक–24.06.2022 द्वारा मेसर्स गोस्वामी सिक्यूरिटी इन्टरप्राईजेज को सुरक्षा गार्ड की सेवा उपलब्ध कराने का आदेश दिया गया, परन्तु दो एजेंसी से कार्य लेने पर दिनांक–16.07.2022 को जिला पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर से अनुमोदन प्राप्त किया गया।

राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार के पत्रांक–4212 दिनांक–18.09.2018 द्वारा जिला में निर्धारित दर पर हेल्थ एण्ड वेलनेश सेंटर से आउटसोर्सिंग का कार्य करने का निदेश दिया गया था, परन्तु डॉ० शर्मा द्वारा उक्त निदेश की अवलेहना करते हुए प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के दर पर सदर अस्पताल, मुजफ्फरपुर में आउटसोर्सिंग का कार्य आवंटित कर दिया गया। फलस्वरूप मामलें की सम्यक् समीक्षोपरान्त अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा डॉ० शर्मा के विरूद्ध बिहार पेंशन नियमावली, 1950 के नियम–43(ख) के अधीन 10% (दस) प्रतिशत पेशन की राशि 03 (तीन) वर्षो तक कटौती करने की शास्ति अधिरोपित करने का विनिश्चय किया गया।

4. विभागीय पत्रांक–906(9) दिनांक–05.08.2025 एवं पत्रांक–137(9) दिनांक–02.02.2026 द्वारा डॉ० शर्मा के विरूद्ध उक्त अधिरोपित दण्ड प्रस्ताव पर बिहार लोक सेवा आयोग, पटना से परामर्श की मॉग की गयी। बिहार लोक सेवा आयोग, पटना के पत्राक–4898 दिनाक–09.03.2026 द्वारा उक्त दण्ड प्रस्ताव पर सहमति प्रदान की गयी।

कृ०पृ०उ०

15/03/26

(15)

5. अतएव डॉ० उमेश चन्द्र शर्मा, तत्कालीन सिविल सर्जन, मुजफ्फरपुर सम्प्रति सेवानिवृत्त के विरूद्ध बिहार पेंशन नियमावली, 1950 के नियम–43(ख) के अधीन 10% (दस) प्रतिशत पेंशन की राशि 03 (तीन) वर्षों तक कटौती करने की शास्ति अधिरोपित एवं संसूचित किया जाता है।

6. उपर्युक्त में सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह0/–

(उपेन्द्र राम)

सरकार के अवर सचिव।

Email

ज्ञापांक–9/आ0–03–12/2023(स्वा0) ..../ पटना, दिनांकः–..................................

प्रतिलिपिः–महालेखाकार, (ले0 एवं हक0) बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/–

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांकः–9/आ0–03–12/2023(स्वा0) 304(9) **/पटना, दिनांकः–** 13.03.26

प्रतिलिपिः–जिला पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर/क्षेत्रीय अपर–निदेशक, स्वास्थ्य सेवाऐं तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर/सिविल सर्जन, मुजफ्फरपुर/कोषागार पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः–माननीय स्वास्थ्य मंत्री के आप्त सचिव/सचिव, स्वास्थ्य विभाग, के प्रधान आप्त सचिव/सभी पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना/सभी निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाऐं, बिहार पटना/प्रभारी प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–2, 3, 7, 8, 17 एवं 18A स्थापना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः–सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि–डॉ० उमेश चन्द्र शर्मा, तत्कालीन सिविल सर्जन, मुजफ्फरपुर सम्प्रति सेवानिवृत्त पता–ग्राम–सैदपुर, पो०–परसा, थाना–दरियापुर, जिला–सारण–841219 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः–आई0टी0 मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

उपेन्द्र
13/03/2026

सरकार के अवर सचिव।